संख्या-918/2023/आई/44047/41-1002-001-127-2023-CN-1602748

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊः: दिनांक 05 दिसम्बर, 2023**

विषयः जनपद चित्रकूट के रामघाट के पास उत्तर प्रदेश पर्यटन चौराहे का पर्यटन विकास एवं प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पर्यटन, उ०प्र० के पत्र सं0-5730/6-1-1/ चि०धा०ती०वि०प० (1612)/2023 दिनांक 01.11.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद चित्रकूट के रामघाट के पास उत्तर प्रदेश पर्यटन चौराहे का पर्यटन विकास एवं प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०सं0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2022-23	संख्या-12/2023/आई/260195/001-41-1002-001-127-2022 दिनांक 11:01 2023	रु०189.52 जी०एस०टी० (वास्तविक भुगतान के आधार पर)	रु० 94.00

3. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत के अनुसार प्रायोजना हेतु रू0 220.38 लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख अड़तीस हजार मात्र) (जी०एस०टी० सहित) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश दिनांक 11.01.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिवन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यो की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रकिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रकिया में आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिधास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3/2017/1067/78-2-2017 42 आई/2017 दिनांक 1205.2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विल (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2025/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं कार्यालय डाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित शतों एवं प्रावधानों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण यत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(6) प्रश्नगत परियाजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम- 04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं दक्षेत्रीय अधिकारियों का होगा।

(10) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- उपर्युक्तानुसार संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक्त) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10-77 दिनांक 26.08.2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजीव (संजीवकुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० (यूपीपीसीएल), लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक (रा०यो०), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।